

CIRCULAR

Circular No: PFRDA/2025/19/PDES/02

Date : 29th October 2025

To

All Stakeholders under NPS

Subject: Inclusion of Platform Service Partner under the National Pension System (NPS) - “NPS e-shramik (Platform Service Partner) Model”

The platform economy in India has seen exponential growth in recent years, driven by digital platforms offering flexible, task-based employment opportunities. Service Partners in this segment, however, often remain outside the traditional social security framework, including retirement planning.

Recognizing this requirement, PFRDA has extended National Pension System (NPS) to platform Service Partners by leveraging the ecosystem of aggregators such as Zomato, Swiggy, Blinkit, Ola, Uber, Urban Company, etc. which act as digital intermediaries for facilitating service delivery.

This initiative aligns with the Government’s broader vision of “Viksit Bharat @2047”, ensuring universal pension coverage and a fully pensioned society.

2. Definitions

(i) “Platform Aggregator” for the purposes of this circular means an online marketplace or a digital platform that facilitates any buyer or user of a service to connect with Platform Service Partners for availing any services offered therein.

(ii) “Platform Service Partner” means an individual, including gig worker, engaged for consideration, with a Platform Aggregator under a contract for service for provision of services to users of such platform.

3. NPS e-shramik (Platform Service Partner) Model

The *NPS e-shramik (Platform Service Partner) Model* is being introduced for the informal sector under Section 12(1)(a) and Section 20 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

3.1 Platform Aggregator–PoP Relationship

(i) PoPs shall actively engage with Platform Aggregator(s) to onboard Platform Service Partners, and to enter into a legal arrangement for that purpose.

(ii) There shall not be any requirement for a Platform Aggregator to seek registration with the Authority. Thereby, there shall not be any regulatory compliance burden on them.

(iii) PoPs shall however be fully responsible for regulatory compliance under the PFRDA Act, 2013, PFRDA (Points of Presence) Regulations, 2018 and related circulars or guidelines and directions, for the Platform Service Partners on-boarded through Platform Aggregator.

3.2 System Integration

(i) Platform Aggregators shall be assigned a Corporate Code named as “*Platform Aggregator Code*” under the CRA system with minimum details.

(ii) PoPs shall digitally integrate their platforms with the Platform Aggregator’s system for seamlessly on-boarding Platform Service Partners.

(iii) The Pension Fund(s) may also file a scheme under this framework for Platform Service Partners listing out full details of such pension scheme such as applicable investment options, portability, target segment, vesting period, etc., and submit the same for approval of the Authority. Such pension scheme shall be named “*NPS e-shramik (Platform Service Partner) Pension scheme*” to be uniform across all the Pension fund and may prefix the Pension Fund name. This framework shall adhere to the Multiple Scheme Framework (MSF) guidelines issued by the Authority.

3.3 Contribution Model

(i) Contribution model shall be the similar to the Corporate model under NPS, i.e. These Contributions can be:

- Either Jointly (Platform Aggregator + Platform Service Partners)
- Or Platform Service Partners-only
- Or Platform Aggregator-only

(ii) No minimum or maximum contribution thresholds shall be applicable, in line with the existing Corporate Model. To ensure effective contributions, the Platform Aggregator/Platform Service Partners are free to fix a minimum contribution for each instance of credit into the individual pension account, for e.g., Rs 99 per month per contribution.

3.4 Two-Phase On-boarding Process

To facilitate early and seamless adoption, a two-phase registration process shall be applicable:

(i) Phase I – Quick Permanent Retirement Account Number (PRAN) Generation:

- (a) While on-boarding the Platform Service Partners, the Platform Aggregators/PoP shall carryout the KYC verification of Service Partners to capture the minimum required particulars, such as Name, Address, PAN, Mobile number, and Bank account details:-
- (b) The KYC shall be done through Aadhaar-based eKYC or any other mode specified by the PFRDA from time to time in accordance with PMLA rules and PFRDA Guidelines in this regard. In cases the KYC details are already available with the Platform Aggregator, the same may be utilised by the PoP. The PRAN may be generated based on consent of the Service Partners for on- boarding.
- (c) The investment scheme and Pension Fund may be selected by the Platform Aggregator at the time of on-boarding and the Service Partners shall have the choice to change the same post the on-boarding.

(ii) Phase II – Completion of Subscriber Information

- (a) Additional details such as fathers name/ mother name, email id and nominee details, to be submitted by the Service Partners. Subsequently, the nominee details are required to be taken and recorded by the PoP within 60 days of onboarding.

3.5 Cost Structure

(i). PoP Charges: PoPs shall not charge on-boarding fee for on-boarding of the Service Partners through Platform Aggregators till the time Incentive framework is available to the PoPs. The subsequent contribution charges shall be as per the existing charges or as modified by the PFRDA from time to time.

(ii) CRA Charges: Charges as approved by PFRDA for informal sector and in line with NPS Lite/APY.

(iii) Pension Fund, NPS Trust & Custodian Charges: Charges as approved by the Authority.

3.6 Incentive Framework under NPS

To promote the initial adoption of NPS by Platform Service Partner and in order to encourage PoPs to actively build systems, create awareness, and educate platform Service Partners, PFRDA shall provide an incentive of upto **₹100 per new account on-boarded under this model** as a promotional activity. The Incentive Framework is as under:

Type of Incentive	Eligibility Criteria	Conditions	Rate
Registration/ Activation Incentive	Enrolment of new individual Service Partners by the PoPs through “Platform Aggregators”	- Account remains active* for a minimum period of 1 year; and - Initial contribution received	Upto ₹100 per capita

*Active account means where the subscriber has contributed at least Rs. 1000 during the year

PoPs shall not charge any on-boarding fee from subscribers under this framework.

The incentive framework for PoPs is applicable for platform Service Partners registered till **31st March 2026** under *NPS e-shramik (Platform Service Partner) Model*. This framework would be reviewed thereafter.

3.7 Shifting and Portability

(i) The Platform Service Partners could be simultaneously working with many Platform Aggregators. However, the Individual pension account can be opened through one Platform Aggregator only.

(ii) The Platform Service Partners can shift/port the individual pension account from one platform aggregator to another, and can change from the Platform Service Provider scheme launched by Pension Funds to the Common Scheme.

3.8 Exit and Withdrawal Provisions

(i) Exit and withdrawal for Platform Service Partners shall be as applicable under the All Citizen Model, as specified under PFRDA (Exit and Withdrawals) Regulations, 2015.

4. This circular is being issued in exercise of the powers conferred under Section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

Yours sincerely,

**Sumit
Kumar**  Digitally signed
by Sumit Kumar
Date: 2025.10.29
16:03:01 +05'30'

(Sumit Kumar)
Chief General Manager

परिपत्र

परिपत्र संख्या: पीएफआरडीए/2025/19/पीडीईएस/02

दिनांक: 29 अक्टूबर 2025

प्रति,

एनपीएस के अंतर्गत सभी हितधारक

विषय: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत प्लेटफॉर्म सेवा भागीदार को शामिल करना - "एनपीएस ई-श्रमिक (प्लेटफॉर्म सेवा भागीदार) मॉडल"

भारत में प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में तेज़ी से विकास किया है, जिसकी वजह लचीले, कार्य-आधारित रोज़गार के अवसर प्रदान करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। हालाँकि, इस क्षेत्र में सेवा भागीदार अक्सर पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा ढाँचे से बाहर रहते हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति योजना भी शामिल है।

इस आवश्यकता को समझते हुए, पीएफआरडीए ने एग्रीगेटर्स - जैसे कि ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ओला, उबर, अर्बन कंपनी, आदि - के परिस्थिति की तंत्र का लाभ उठाकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को प्लेटफॉर्म सेवा भागीदारों तक विस्तारित किया है, जो सेवा वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।

यह पहल सरकार के व्यापक दृष्टिकोण "विकसित भारत @2047" के अनुरूप है, जो सार्वभौमिक पेंशन कवरेज और पूर्ण पेंशनयुक्त समाज सुनिश्चित करता है।

2. परिभाषाएँ

(i) "प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर" का अर्थ है इस परिपत्र के प्रयोजनों के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस या डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसी सेवा के खरीदार या उपयोगकर्ता को उसमें दी जाने वाली किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए प्लेटफॉर्म सेवा भागीदारों से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है।

(ii) "प्लेटफॉर्म सेवा भागीदार" का अर्थ है एक व्यक्ति, जिसमें गिग वर्कर भी शामिल है, जो प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर के साथ ऐसे प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को सेवाओं के प्रावधान के लिए सेवा के अनुबंध के तहत विचार के लिए जुड़ा हुआ है।

3. एनपीएस ई-श्रमिक (प्लेटफॉर्म सेवा भागीदार) मॉडल

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 12(1)(ए) और धारा 20 के अंतर्गत अनौपचारिक क्षेत्र के लिए एनपीएस ई-श्रमिक (प्लेटफॉर्म सेवा भागीदार) मॉडल शुरू किया जा रहा है।

3.1 प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर-पीओपी संबंध

- (i) पीओपी प्लेटफ़ॉर्म सेवा भागीदारों को शामिल करने और उस उद्देश्य के लिए कानूनी व्यवस्था करने हेतु प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर(ओं) के साथ सक्रिय रूप से जुड़ेंगे।
- (ii) प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर के लिए प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होगा। इस प्रकार, उन पर किसी भी प्रकार का नियामक अनुपालन भार नहीं होगा।
- (iii) हालाँकि, प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर के माध्यम से शामिल प्लेटफ़ॉर्म सेवा भागीदारों के लिए, पीएफआरडीए अधिनियम, 2013, पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 और संबंधित परिपत्रों या दिशानिर्देशों एवं निर्देशों के अंतर्गत विनियामक अनुपालन के लिए पीओपी पूरी तरह उत्तरदायी होंगे।

3.2 सिस्टम एकीकरण

- (i) प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर्स को सीआरए प्रणाली के अंतर्गत न्यूनतम विवरण के साथ "प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर कोड" नामक एक कॉर्पोरेट कोड प्रदान किया जाएगा।
- (ii) प्लेटफ़ॉर्म सेवा भागीदारों को निर्बाध रूप से शामिल करने के लिए, पीओपी अपने प्लेटफ़ॉर्म को प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर की प्रणाली के साथ डिजिटल रूप से एकीकृत करेंगे।
- (iii) पेंशन निधियाँ इस ढाँचे के अंतर्गत प्लेटफ़ॉर्म सेवा भागीदारों के लिए एक योजना भी प्रस्तुत कर सकती हैं, जिसमें ऐसी पेंशन योजना का पूरा विवरण, जैसे कि लागू निवेश विकल्प, पोर्टेबिलिटी, लक्षित खंड, निहित अवधि, आदि, सूचीबद्ध हो और उसे प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा सके। ऐसी पेंशन योजना का नाम "एनपीएस ई-श्रमिक (प्लेटफ़ॉर्म सेवा भागीदार) पेंशन योजना" रखा जाएगा ताकि यह सभी पेंशन निधियों में एक समान हो और पेंशन निधि के नाम के आगे यह योजना लागू हो सके। यह ढाँचा प्राधिकरण द्वारा जारी बहु-योजना ढाँचे (एमएसएफ) दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

3.3 अंशदान मॉडल

- (i) अंशदान मॉडल एनपीएस के अंतर्गत कॉर्पोरेट मॉडल के समान होगा, अर्थात् ये अंशदान निम्न हो सकते हैं:
 - संयुक्त (प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर + प्लेटफ़ॉर्म सेवा भागीदार)
 - या
 - केवल प्लेटफ़ॉर्म सेवा भागीदार
 - या
 - केवल प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर
- (ii) मौजूदा कॉर्पोरेट मॉडल के अनुरूप, कोई न्यूनतम या अधिकतम अंशदान सीमा लागू नहीं होगी। प्रभावी अंशदान सुनिश्चित करने के लिए, प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर/प्लेटफ़ॉर्म सेवा भागीदार व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा की

प्रत्येक स्थिति के लिए न्यूनतम अंशदान निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, उदाहरण के लिए, 99 रुपये प्रति माह का अंशदान।

3.4 दो-चरणीय ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया

शीघ्र और निर्बाध रूप से अपनाने की सुविधा के लिए, दो-चरणीय पंजीकरण प्रक्रिया लागू होगी:

(i) चरण I - त्वरित स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) जनरेशन:

(क) प्लेटफॉर्म सेवा भागीदारों को शामिल करते समय, प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर/पीओपी न्यूनतम आवश्यक विवरण, जैसे नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण प्राप्त करने के लिए सेवा भागीदारों का केवाईसी सत्यापन करेंगे।

(ख) केवाईसी, आधार-आधारित ई-केवाईसी या पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से, पीएमएलए नियमों और इस संबंध में पीएफआरडीए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यदि केवाईसी विवरण प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर के पास पहले से उपलब्ध हैं, तो पीओपी द्वारा उनका उपयोग किया जा सकता है। ऑन-बोर्डिंग के लिए सेवा भागीदारों की सहमति के आधार पर पीआरएएन (PRAN) जनरेट किया जा सकता है।

(ग) निवेश योजना और पेंशन फंड का चयन प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर द्वारा ऑन-बोर्डिंग के समय किया जा सकता है और सेवा भागीदारों के पास ऑन-बोर्डिंग के बाद इसे बदलने का विकल्प होगा।

(ii) चरण II - अभिदाता जानकारी का पूरा होना

(क) अतिरिक्त विवरण जैसे पिता/माता का नाम, ईमेल आईडी और नामिती का विवरण, सेवा भागीदारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। इसके बाद, नामिती का विवरण ऑनबोर्डिंग के 60 दिनों के भीतर पीओपी द्वारा लिया और दर्ज किया जाना आवश्यक है।

3.5 लागत संरचना

(i) **पीओपी शुल्क:** जब तक पीओपी के लिए प्रोत्साहन ढाँचा उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक पीओपी प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स के माध्यम से सेवा भागीदारों की ऑन-बोर्डिंग के लिए ऑन-बोर्डिंग शुल्क नहीं लेंगे। इसके बाद के अंशदान शुल्क मौजूदा शुल्कों के अनुसार या पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर संशोधित शुल्कों के अनुसार होंगे।

(ii) **सीआरए शुल्क:** शुल्क गैर-संगठित क्षेत्र के लिए पीएफआरडीए द्वारा अनुमोदित और एनपीएस लाइट/एपीवाई के अनुरूप होंगे।

(iii) **पेंशन फंड, एनपीएस ट्रस्ट और कस्टोडियन शुल्क:** शुल्क प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होंगे।

3.6. एनपीएस के अंतर्गत प्रोत्साहन ढाँचा

प्लेटफॉर्म सेवा भागीदारों द्वारा एनपीएस को प्रारंभिक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने और पीओपी को सक्रिय रूप से प्रणालियाँ बनाने, जागरूकता पैदा करने और प्लेटफॉर्म सेवा भागीदारों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, पीएफआरडीए एक प्रचार गतिविधि के रूप में इस मॉडल के अंतर्गत शामिल किए गए प्रत्येक नए खाते पर ₹100 तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगा। प्रोत्साहन ढाँचा इस प्रकार है:

प्रोत्साहन का प्रकार	पात्रता मापदंड	स्थितियाँ	दर
पंजीकरण/सक्रियण प्रोत्साहन	"प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर्स" के माध्यम से पीओपी द्वारा नए व्यक्तिगत सेवा भागीदारों का नामांकन	खाता न्यूनतम 1 वर्ष तक सक्रिय* रहे; और • प्रारंभिक अंशदान प्राप्त हो	प्रति व्यक्ति ₹100 तक

*सक्रिय खाते का अर्थ है वह खाता जहाँ अभिदाता ने वर्ष के दौरान कम से कम 1000 रुपये का योगदान दिया हो।

इस ढाँचे के अंतर्गत, पीओपी अभिदाताओं से कोई ऑन-बोर्डिंग शुल्क नहीं लेंगे।

पीओपी के लिए प्रोत्साहन ढाँचा एनपीएस ई-श्रमिक (प्लेटफ़ॉर्म सेवा भागीदार) मॉडल के अंतर्गत 31 मार्च 2026 तक पंजीकृत प्लेटफ़ॉर्म सेवा भागीदारों पर लागू है। इसके बाद इस ढाँचे की समीक्षा की जाएगी।

3.7. स्थानांतरण और पोर्टेबिलिटी

(i) प्लेटफ़ॉर्म सेवा भागीदार एक साथ कई प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर्स के साथ काम कर सकते हैं। हालाँकि, व्यक्तिगत पेंशन खाता केवल एक प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर के माध्यम से ही खोला जा सकता है।

(ii) प्लेटफ़ॉर्म सेवा भागीदार व्यक्तिगत पेंशन खाते को एक प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर में स्थानांतरित/पोर्ट कर सकते हैं, और पेंशन फंड द्वारा शुरू की गई प्लेटफ़ॉर्म सेवा प्रदाता योजना को सामान्य योजना में बदल सकते हैं।

3.8 निकास और निकासी प्रावधान

(i) प्लेटफ़ॉर्म सेवा भागीदारों के लिए निकास और निकासी, अखिल नागरिक मॉडल के अंतर्गत लागू होंगे, जैसा कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और निकासी) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट है।

4. यह परिपत्र पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है।

सादर,

Sumit
Kumar

(सुमित कुमार)

मुख्य महाप्रबंधक

Digitally signed
by Sumit Kumar
Date:
2025.10.29
16:03:54 +05'30'